बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक-. /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 04तक0/बिहार फाउण्डेशन /20/2023

प्रेषक,

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

बिहार, पटना।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार फाउण्डेशन हेतु सहायक अनुदान-वेतन मद में बजट उपबंध रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप उपलब्ध राशि रू0 26.25 लाख (रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार फाउण्डेशन हेतु सहायक अनुदान-**वेतन मद** में बजट उपबंध रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख) मात्र के विरूद्ध तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप उपलब्ध राशि रू0 26.25 लाख (रूपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत्यादेश संख्या-4021 दिनांक-28.11.2025 द्वारा प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं प्रथम अनुपूरक के रूप में प्राप्त आवंटन रू0 148.75 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

3. प्रस्तावित राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष-0164 बिहार फाउण्डेशन, विपत्र कोड-23-2852801020164, विषयशीर्ष-0164-31-04 **सहायक अनुदान-वेतन मद** में उपबंधित राशि से की जायेगी। जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर CFMS के माध्यम से बिहार फाउण्डेशन, पटना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रामचरित्र सिंह पथ, पटना के बचत खाता संख्या- 055022010000329, IFS Code-UBIN0905500 में जमा करेंगे।

5. इस राशि की निकासी BTC Form-42 पर की जायेगी।

6. इस योजना के लेखा-जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. स्वीकृत राशि विभागीय योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

9. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561/वि (2) दिनांक-17.04.1998 के कंडिका-2 के आलोक में किया जायेगा तथा पत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि(2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश में संचिका संख्या-04तक0/बिहार फाउण्डेशन/20/2023 के पृष्ठ-47/टि0 पर दिनांक-12.01.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-04तक0/बिहार फाउण्डेशन/20/2023 के पृष्ठ-47/टि0 पर दिनांक-13.01.2026 को सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिल कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 04तक0/बिहार फाउण्डेशन /20/2023

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 117 /पटना, दिनांक- 27/01/2026

सं0सं0- 04तक0/बिहार फाउण्डेशन /20/2023

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, इंदिरा भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी बजट शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/26

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।